210 50. केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की गणना और निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) का संवितरण करने के प्रयोजन से अक्रिय नकदी/बैंक में बकाया राशियों पर ब्याज की कटौती

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) और दिनांक 18.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (8)/12–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल– xx/13 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में डीपीई के वर्ष 2007 के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ किसी सीपीएसई के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन पीआरपी का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में सीपीएसई/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रश्नों के उत्तर में दिनांक 18.09.2013 के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यह स्पष्ट किया गया था कि अक्रिय नकदी/बैंक में बकाया राशियों पर ब्याज की कटौती कर पूर्व लाभ (पीबीटी) से की जाए और पीआरपी का संवितरण सीपीएसई की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों से ही होने वाले लाभ के आधार पर किया जाए। इस प्रकार वर्ष 2012–13 से आगे वाले वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए लाभ के आधार पर ही किसी सीपीएसई के गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को देय पीआरपी की गणना डीपीई के दिनांक 18.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार की जाएगी।

3. यह सचिव, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 0208/12/ डीपीई–(डब्ल्यूसी)–जीएल– **XIV**/14, दिनांक 02 सितंबर 2014)

****